## संक्षिप्त

### किसानों की समस्याएं सुनी

**पावटा।** विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत मण्ढा में विधायक ने पहुंचकर किसान भाइयों से संवाद किया और उनके हाल-चाल जाने। इस दौरान किसानों द्वारा बताई गई विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणजन व किसान उपस्थित रहे, जिन्होंने खुलकर अपनी समस्याएं और सुझाव विधायक के समक्ष रखे। विधायक ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। विधायक ने भी सभी ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए उनके विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

### गुणसारिया अध्यक्ष बने

**टोंक ।** मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर में राजस्थान अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जिला इकाई टोंक के अध्यक्ष बनाने पर बाबूलाल गुणसरिया को एवं देवकरण राजवंशी को उपाध्यक्ष बनने पर एडवोकेट कमलेश चौहान, अक्षय बेरवा, रामलाल सेलीवान, तुलसीराम चावला, अनिल मिश्रा, कमलेश चावला, मुकेश साहू, दिनेश बेरवा, कमलेश खींची, मूलचंद बेरवा, विनोद लंबा, पुष्पेंद्र मीणा, बनवारी राजावत, विकास लोधी इत्यादि ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को माला पहनकर उनका हार्दिक स्वागत किया गया। इस मौके पर मौजूद सभी अधिवक्ताओं ने उन्हे बधाइयां देकर शुभकामनाएं प्रेषित की।

### गैस सप्लाई पर बैठक

**खैरथल ।** पश्चिम एशिया में वर्तमान परिस्थितियों के चलते गैस सप्लाई बाधित होने से भिवाड़ी एवं आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन में कमी और श्रमिकों के पलायन की सूचना पर उप श्रम आयुक्त खैरथल-तिजारा प्रज्ञा शर्मा ने भिवाड़ी में औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान उद्योगपतियों ने गैस आपूर्ति में कमी के कारण उत्पादन प्रभावित होने, लागत बढ़ने और श्रमिकों के पलायन जैसी समस्याओं को विस्तार से रखा। साथ ही वर्तमान संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।


**आम सूचना** सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य रामकृष्ण केदावत पुत्र श्री प्रभदयाल केदावत आयु 62 वर्ष, निवासी 12 मोरी बाबा भवन के पहले, शिवाजी चौक, ब्रह्मपुरी, जयपुर ने उनके पुत्र अतुल केदावत एवं पुत्रवधू श्रीमती सोनम केदावत पत्नी श्री अतुल केदावत से अपने पारिवारिक सम्बंध तोड लिये है, क्योंकि मेरे अभिभाष्य के पुत्र अतुल केदावत व पुत्र वधु सोनम केदावत उनके कहे में नहीं है, इस कारण अतुल केदावत एवं सोनम केदावत को अपनी सम्पूर्ण सम्पतियों एवं विधिक अधिकारो से वेदखल कर दिया है । पुत्र अतुल केदावत व पुत्र वधु सोनम केदावत के किसी भी कृत्य व दायित्वों से मेरे अभिभाष्य का कोई सम्बन्ध या सरोकार नही होगा तथा उनके वर्तमान व भविष्य के किसी भी लेन देन व विवादो से मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

(प्रशान्त शर्मा) एडवोकेट, मो.-9414044441

**खोया पाया**

मेरे आवास संख्या 61/29, मानसरोवर जयपुर का नियमितीकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र दिनांक 07.02.1997, जो कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह के हित में जारी किया गया था, कहीं गुम हो गया है। मिलने पर कृपया सूचित करें। सरिता अग्रवाल मो.नं.-9462775549

आवास संख्या 4 M49 जवाहर सर्किल जयपुर का मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र (handing over taken over) और अदेय प्रमाण पत्र व 7 Days Letter गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। राजू गुरनानी मो. 9414196673

मेरे भूखण्ड संख्या-1 & 28-A योजना-मरुधर विहार, जयपुर, जविप्रा का मूल पट्टा व साईट प्लान व स्टाम्प पेपर कही गुम हो गया है मिलने पर संपर्क करें। पूनम देवी गुप्ता शशि देवी-9928030616

मेरे भूखंड संख्या 560 जे.डी.ए. की आवासीय योजना आनंद लोक द्वितीय का जेडीए से जारी आवंटन पत्र, कब्ज़ा पत्र, साईट प्लान कही गुम हो गया है मिलने पर सूचित करे। मंजू गुप्ता मो. 8560095555

अलाटमेन्ट संख्या 6211 दिनांक 17/01/05 एवं डिक्लरेशन फ्लेट संख्या 84/272, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर के कुंभा मार्ग में खो गये है। सम्पर्क करें- 9829993208

**नम्बर मिलाइए 9587884433**

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।


# ट्रोले ने मिनी ट्रैक्टर-ट्रॉली के मारी टक्कर, चालक की मौत

**निवाई/गुंसी ।** राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुंसी पुलिस चौकी के सामने एक अनियंत्रित ट्रोले ने मिनी ट्रैक्टर-ट्रॉली के टक्कर मार दी।

जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सदर थानाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि शिवाजी कॉलोनी गली नंबर 14

■ ट्रोला चालक तेज रफ्तार से भाग गया

निवासी पवन कुमार (50)पुत्र मोतीलाल रैगर हनुमान जन्मोत्सव पर कौथून के बालाजी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के लिए भगवान श्रीराम व हनुमान जी की झांकी ले जा रहा था।

इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गुंसी चौकी के समीप पीछे से तेज गति में आ रहे एक अनियंत्रित ट्रोले ने मिनी ट्रैक्टर-ट्रॉली के टक्कर मार दी। जिससे ट्रैक्टर चालक पवन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई।

ट्रोले के चालक ने मौके से भागने का प्रयास किया और तेज रफ्तार में ट्रोले को भगाकर ले गया। घटना की सूचना पर सदर थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्परता से फरार ट्रोले का करीब दो किलो मीटर तक पीछा किया और ट्रोले को रुकवाकर चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने क्रेन की सहायता ट्रैक्टर-ट्रॉली को सडक के किनारे करवाकर यातायात को पुनः सुचारू किया। पुलिस ने मृतक के शव का निवाई उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

निवाई के गुंसी पुलिस चौकी के सामने हुई दुर्घटना के बाद मौके पर जमा भीड़।

## आदिवासी आदिमजाति समुदाय को पृथक जनगणना कॉलम दिये जाने की मांग

**कोटपूतली।** अखिल भारतीय आदिवासी कांठोस जिला कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा भारत के आदिवासी आदिमजाति समुदाय को पृथक जनगणना कॉलम दिये जाने की मांग को लेकर गुरूवार को राज्यपाल के नाम एडीएम ओमप्रकाश सहारण को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि आदिवासी आदिमजाति समुदाय भारत का प्राचीनतम व प्रथम मूल निवासी समुदाय है। आदिमजाति आदिवासी समुदाय को पृथक जनगणना कॉलम दिये जाने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग भी की गई हैं।

## मंदिरों में विशेष साज-सज्जा

**पावटा।** श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ हनुमान जन्मोत्सव क्षेत्रभर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर किला हनुमान मंदिर, हखडेत हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष साज-सज्जा की गई और सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने भगवान हनुमान के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। ललित शर्मा, निखिल शर्मा, हिमांशु शर्मा ने बताया कि हखडेत हनुमान मंदिर में अखंड रामायण पाठ, विशेष पूजा-अर्चना, सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ आयोजित किया गया। मंदिरों को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसके साथ ही मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। भंडारे में बडी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और सेवा कार्य में भी बढ-चढकर भाग लिया। वही किला धाम हनुमान मंदिर में मेले का आयोजन किया गया।

## हनुमान जन्मोत्सव पर भक्तों की उमड़ी भीड़, भंडारे में सेवा व आस्था का अनूठा संगम

**किशनगढ़ बास।** शहर के पुराना बाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव पर आयोजित भंडारे में सेवा और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला।

सुबह 11 बजे शुरू हुए भंडारे में दोपहर 4 बजे तक पंगत में बैठकर प्रसादी पाने वाले श्रद्धालुओं की लाईन नहीं टूटी वहीं भंडारे में सेवा देने वाले भक्तों में होड़ लगी थी। महिलाओं के बैठने व प्रसादी के लिए गंगा मंदिर में व्यवस्था की गई। मंदिर के महंत पंडित कालूराम शर्मा ने बताया कि गुरुवार को भंडारे से पहले सुबह अखंड रामायणपाठ का समापन हुआ । इसके पश्चात हवन यज्ञ किया गया जिसमें सामुहिक हनुमान भक्तों ने आहुति दी और महा आरती की।

हजारों की संख्या में भंडारे में पहुच श्रद्धालु भक्तो का दिनभर भीड़ रही मंदिर में हनुमान जी के आगे ढोक लगाई और पूजा कर घर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। भंडारा आयोजन समिति के विनय टिंटू गोयल ने बताया कि भंडारे में आलू व कोले की सब्जी और पुरी व बूंदी दाने का प्रसाद बनाया गया।

■ मंदिर पर हवन यज्ञ व महाआरती का आयोजन, सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक हजारों लोगों ने पंगत में बैठकर की प्रसादी ग्रहण

भंडारे में 8 क्विंटल आटे की पूरी बनाई, 8 बोरी आलू 2 कैरेट टमाटर तथा 5 क्विंटल कोला व 60 किलो केरी की सब्जी तैयार की गई। इसके अलावा 160 किलो बेसन व 20 किलो मैदा तथा 4 क्विंटल चीनी के बूंदी दाने बने। इसमें 20 टीन रिफाइंड, 6 टीन डालडा व 6 टीन देसी घी इस्तेमाल किया गया। आयोजन के दौरान गैस सिलेंडर की कमी भी देखने को मिली। जानकारी के अनुसार, सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने पर आयोजकों ने लकड़ी की भट्टी का सहारा लेकर प्रसादी तैयार करवाई। हालांकि, आरोप यह भी सामने आया कि कुछ सिलेंडर ब्लैक में 2500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से खरीदे गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद कालाबाजारी कैसे हो रही है। यह मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन की निगरानी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

## बालाजी की जीवंत झांकी के दर्शन

**सांभरझील,** (निसं)। खेड़ापति बालाजी मंडल के तत्वाधान में 45 श्री हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा इस बार और अधिक खास तो होगी ही साथ ही भक्ति मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालुओ को आत्म जागृति का संदेश भी देगी।

भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावे..,,, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरै हनुमत बलबीरा के पठन से नकारात्मक शक्तियों का विनाश करते हुए हर वैश्विक संकट को जड़ मूल से समाप्त करने की बालाजी से अरदास की जाएगी। झाकियों को विशेष रूप प्रदान करने के लिए अपनी खास पहचान बना चुके खेड़ापति बालाजी मंडल के उपाध्यक्ष मुकेश उर्फ पप्पू पाराशर संपूर्ण आत्मिक भाव के साथ प्रभु के निमित्त इस कार्य में जुटे हैं। झांकियों में सांवरिया सेठ की प्रतिमा के दर्शन कर श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने की भी कामना करेंगे। खेड़ापति बालाजी की फूल बंगला की भव्य झांकी शोभायात्रा का प्रमुख आकर्षण होगी। झांकी के दर्शन कर लोगों को इसका आध्यात्मिक लाभ तो होगा ही तथा काया का कष्ट भी दूर होगा। शोभा यात्रा में बजरंग अखाड़ा दल के सदस्यों की ओर अनेक रोचक प्रस्तुतियां दी जाएगी जो लोगों को दांतों तले अंगुली दबाने को विवश कर देगी।

## कुश्ती परंपरा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया

**भरतपुर** (निस)। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग एवं गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म गुरुवार को भरतपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री वायुवृक्ष आश्रम ट्रस्ट द्वारा हनुमान मंदिर परिसर, काली की बगीची चौराहे पर नव निर्मित अखाड़े का फीता काटकर उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि ब्रज क्षेत्र में मल्ल विद्या की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम के समय से जुडा हुआ है। उन्होंने बताया कि उस समय शुद्ध खान-पान एवं दूध-दही की परंपरा के कारण प्रत्येक परिवार में कुश्ती से जुड़ा कोई न कोई व्यक्ति अवश्य होता था, जिससे क्षेत्र में मल्ल कला का व्यापक विकास हुआ। उन्होंने कहा कि भरतपुर जिले के अनेक पहलवानों ने राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। हनुमान शाला एवं अखाड़ों के माध्यम से कुश्ती खेल को जीवित रखा गया है और यहां के पहलवानों ने विभिन्न अखाड़ों में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए पहचान बनाई है। राज्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर, डीग एवं धौलपुर क्षेत्र के पहलवानों का एक समय पूरे राजस्थान में दबदबा रहा है तथा उन्होंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। वर्तमान समय में कुश्ती प्रतियोगिताओं में बदलाव आया है और मिट्टी के अखाड़ों के स्थान पर अब मैट पर कुश्ती आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर, विशेषकर ओलंपिक में भागीदारी के लिए मैट पर कुश्ती का प्रशिक्षण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से नए खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि कई युवा खिलाड़ियों ने स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर मैट कुश्ती में गोल्ड मेडल प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में खेल, रोजगार, शिक्षा एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य किए जा रहे हैं। भरतपुर में भी विभिन्न विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने काली की बगीची स्थित हनुमान मंदिर के नव अखाड़े के विकास हेतु टीन शेड निर्माण, मार्ग सुदृढ़ीकरण एवं कुंड की चारदीवारी एवं सौंदर्यकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही।

■ कई युवा खिलाड़ियों ने स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर मैट कुश्ती में गोल्ड मेडल प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है

# पावटा में भाजपा नेत्री रत्ना कुमारी का भव्य स्वागत

**पावटा।** भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय एवं लोकप्रिय नेत्री रत्ना कुमारी शाहपुरा को भाजपा राजस्थान की प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य बनाए जाने के उपलक्ष्य में पावटा पंचायत समिति के भोनावास स्थित पावन बागौरी माता मंदिर में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बागौरी माता सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, समिति पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह के दौरान रत्ना कुमारी का पारंपरिक रीति-रिवाज से माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया।

■ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगी

लोकप्रिय नेत्री रत्ना कुमारी को भाजपा राजस्थान की प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य बनाए जाने पर भव्य स्वागत किया।

उपस्थित जनसमूह ने जोरदार अभिनंदन करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में रत्ना कुमारी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें मिला यह स्नेह, सम्मान एवं विश्वास उनके लिए अमूल्य है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का है। आप सभी के सहयोग, विश्वास एवं प्रोत्साहन से उन्हें जनसेवा के कार्यों को और अधिक समर्पण, निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे पार्टी की विचारधारा एवं जनसेवा के मूल्यों को आत्मसात करते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगी। कार्यक्रम के अंत में बागौरी माता सेवा समिति द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान सैकडों की संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे, जिससे आयोजन का माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा।


**नाम परिवर्तन**

मैने अपना नाम पुष्पा देवी पांचाल से बदलकर पुष्पा कर लिया है। पुष्पा पत्नी श्री नवल, निवासी- मकान नंबर 207, पर्वतपुरी, गोलीमार गार्डन के पीछे, जयपुर राजस्थान

मैने अपना नाम महेंद्र सुथार से बदलकर महेंद्र कुमार सुथार कर लिया है। महेंद्र कुमार सुथार पुत्र श्री बजरंग लाल सुथार, निवासी- राजपूतों का मोहल्ला, देराजसर, सरदारशहर, चूरू, राजस्थान-331402, भविष्य में मुझे महेंद्र कुमार सुथार के नाम से जाना जावे।

मै सीमा रानी W/o JC-293540M सूबेदार मलकीत सिंह निवासी तर(263), चौड़मस्तपुर, अंबाला शहर, हरियाणा पिन-134003 मेरे पती के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा सीमा रानी गलत नाम दर्ज है । मेरे डॉक्यूमेंट और आधार और पैन कार्ड में मेरा सही नाम सीमा है। जो सही है।

We have changed our Daughter name Sanidhya to Sanidhya Gupta D/o Saurav Gupta & Preeti Gupta R/o 67, Jaganathpuri, Boring Road, Jhotwara, Jaipur. For all purpose.

I, Ram Binod Singh is legally father of No. 8037294N Hav Akhilesh Kumar, Presently Residing at, Village: Chatra, Post: Harpur Bochaha. Teh: Dalsinghsarai Police Station: Vidyapattinagar, Dist: Samastipur, State: Bihar, Pincode -848503 have changed my name from Ram Binod Singh to Ram Vinod Singh Vide affidavit No. CE722878 Date 30/03/2026

**आम सभा की सूचना**

दी सांगानेर को आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. की वार्षिक आम सभा दिनांक 19/04/2026 को समिति के वर्तमान कार्यालय 12, श्रीराम नगर कालोनी सांगानेर में प्रातः 11:00 बजे अयोजित की जानी है। बैठक का एजेण्डा समिति कार्यालय पर पृथक से प्रकाशित कर दिया गया है, सभी सदस्य सूचित रहे ।

सचिव
दी सांगानेर को आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.


**उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)**

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 172/2025
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम पूजा रोहतगी पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति..
विवाद स्थान 24 वार्ड नं.12 सुमेर नगर मानसरोवर मृतक आदिती सिंह पुत्री जोगेन्द्र सिंह की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 04.04.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम आदिती सिंह पुत्री जोगेन्द्र सिंह जाति... निवासी 24 वार्ड नं.12 सुमेर नगर मानसरोवर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04 माह 04 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 27 माह 03 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
क्रम-2, जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर

**( नियम 130 व 131)**
**अपील की सूचना के अन्तर्गत धारा 426 (1) बी एन एस एस 2023**
**न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर ।। जयपुर**

दिनांक :- 28/04/2026

**मनोज कुमार जांगिड़**
**बनाम**
**राज्य सरकार व अन्य**

अपील/निगरानी सं.73/2025
अपील/निगरानी विरुद्धआदेश दिनां 03/10/2025 के न्यायालय ए सी जे एम नं. 3 जयपुर महानगर जयपुर द्वितीय मुकदमा नं. मुकदमा नंबर 108/2025 अन्तर्गत धारा 316(2),316(5), 318(2), 318 (4) सपठित धारा 61 (2), (ए) बी एन एस एस 2023 को धारा 426 (1) बी एन एस एस 2023 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि अपीलाण्ट को उपरोक्त अपील / रिविजन इस न्यायालय में दिनांक 28/04/2026 को बजे 7.30 ए.एम. पर सुनी एवं निर्णीत की जावेगी।

मोहर
वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम-4 जयपुर महानगर द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/2046
चूंकि प्रार्थी श्री YASH PAL JAIN, 486 ADARSH NAGAR JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री मुल्तान जैन वेताम्बर जैन K-8-B MUNI JAYANAND MARG FATEH TIBA ADARSH NAGAR JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 08.06.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1982
चूँकि श्री राज कुमार कन्दौई पुत्र श्री मांगी लाल कन्दौई निवासी आई टी एस 1 एण्ड 2, आई टी पार्क, सीतापुरा, ई पी आई पी, जयपुर 302022 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी सोसायटी, आई टी एस 1, 2 आई टी पार्क, ई पी आई पी, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर 302022 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 04.06.2026

मोहर अदालत
रतन लाल योगी
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**

मुकदमा नम्बर 33/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री निर्मल पंवार ने पंजीकृत प्रन्यास श्याम लाल पंवार आनन्दी देवी चेरिटेबल ट्रस्ट 136, रामनगर विस्तार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 47/जयपुर/2003 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र-8 प्रस्तुत किया जिसमे उनके द्वारा प्रन्यासी श्रीमती विमला देवी का स्वर्गवास राधा श्रीमती प्रकाश महावर द्वारा त्याग पत्र देने के कारण उनका नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा प्रन्यास विधान में नवीन उद्देश्यों को समायोजित कर उक्त संशोधनों को प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 30.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 7.5.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**

मुकदमा नम्बर 34/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री राकेश शर्मा ने पंजीकृत प्रन्यास श्री रामाकृष्णा फाउण्डेशन ट्रस्ट श्री रामकृष्णा हॉस्पिटल, बी-13, कृष्णा नगर-प्रथम, कैलाश टॉवर के पास गांधी नगर मोड़ के पास, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 211/जयपुर/2025 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र 8 प्रस्तुत किया जिसमें प्रन्यास की बैठक दिनांक 10.01.2026 को लिये गये निर्णय के अनुसार प्रन्यास के विधान के बिन्दु संख्या 3 (घ) धार्मिक उद्देश्यों को हटाकर नवीन उद्देश्यों को समायोजित कर उक्त संशोधनों को प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 7.5.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**

मुकदमा नम्बर 36/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री प्रशान्त शर्मा ने पंजीकृत प्रन्यास पोद्दार ट्रस्ट, सेक्टर 7, शिप्रा पथ मानसनीवर जयपुर जिसका पंजीयन कमांक 17/जयपुर/2021 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र 8 प्रस्तुत किया जिसमें प्रन्यास के प्रन्यास विधान में नवीन उद्देश्यों को समायोजित कर संशोधित विधान को प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 8.5.2026

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

**कार्यालय नगर पालिका मण्डल, सांभर लेक जिला जयपुर (राज0)**
E-mail-sambharnagarpalika@gmail.com Phone No. 01425-228245
eosambhar.lsg@rajasthan.gov.in

क्रमांक – न.पा.सा./स्वच्छ भारत मिशन/2026/2931 दिनांकः– 30.03.2026

**सार्वजनिक सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18 सितम्बर 2013 को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजपत्र 2013 के अधिनियम संख्या 25 के अन्तर्गत "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" लागू किया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत –

- हाथ से मैला उठाने की प्रथा
- बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर, सेप्टिक टेंक, नाले अथवा अन्य बंद स्थानों में मैनुअल खतरनाक प्रवेश (Manual Hazardous Entry) पूर्णतः प्रतिबंधित है।

अतः नगरपालिका सांभर लेक की सीमा क्षेत्र में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी है। यदि कोई व्यक्ति, ठेकेदार, ऐजेंसी अथवा संस्था उक्त कार्यवाही में संलिप्त पाई जाती है, तो अधिनियम के अध्याय–3 की धारा 8 के अन्तर्गत संबंधित के विरूद्ध चालानी/दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें न्यूनतम रूपये 50,000 (पचास हजार रूपये) तक का जुर्माना अथवा 01 वर्ष का कारावास या दोनों का प्रावधान है।

राज.संवाद/सी/26/258
अधिशाषी अधिकारी

**कार्यालय नगर निगम, भरतपुर**

क्रमांक / शहरी सेवा शिविर/न.नि.भ./2025-26/174 दिनांक :- 02.04.2026

**आपत्ति सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम भरतपुर शहरी क्षेत्र में निम्न आवेदकों द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट / नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए / स्टेटग्रान्ट / कच्ची बस्ती का पट्टा चाहने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर पत्रावलियाँ प्राप्त हुई हैं। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य प्रस्तुत करें। बाद अवधि के किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा तथा बाद समस्त जाँच के आवेदक को स्टेट ग्रान्ट एक्ट / नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए के तहत् / कच्ची बस्ती के तहत पट्टा जारी किये जाने की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

| क्र. स. | ऑनलाईन पत्रावली सं. | आवेदक का नाम | पति/पत्नि का नाम | वार्ड नं. | भूखण्ड जहां स्थित है | आवेदन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350527 | अजीत सिंह | दलवीर सिंह | 59 | रेडक्रोस सर्किल, भरतपुर | 690ए |
| 2 | 354279 | संध्या व तनुज गर्ग | उमेशचन्द | 23 | सेढ़ का मढ, भरतपुर | 69ए |
| 3 | 354258 | संध्या व तनुज गर्ग | उमेशचन्द | 23 | बर्तन बाजार गंगा मदिर भरतपुर | 69ए |
| 4 | 344189 | मनोज कुमार | राधेलाल | 36 | बासन गेट भरतपुर | स्टेटग्रान्ट |
| 5 | 345579 | मंजीत सिंह चौधरी | जीतेन्द्र सिंह | 25 | कमला रोड कुम्हेर गेट, भरतपुर | स्टेटग्रान्ट |
| 6 | 345630 | मुकेशचन्द | आनन्दस्वरूप | 33 | बासन गेट, भरतपुर | स्टेटग्रान्ट |
| 7 | 39360 | ओमप्रकाश | उदय सिंह | 50 | पक्का बाग अछनेरा रोड भरतपुर | स्टेटग्रान्ट |
| 8 | 354617 | काव्या जैन | नीरज जैन | 28 | मौहल्ला गोपालगढ, भरतपुर | 69ए |
| 9 | 354581 | चरन कौर | दर्शन सिंह | 21 | अटलबंध दरवाजा, भरतपुर | स्टेटग्रान्ट |
| 10 | 354544 | वंशीवारे | रामखिलाडी | 10 | सिंगीवाला मौहल्ला सेवर, भरतपुर | स्टेटग्रान्ट |

प्राधिकृत अधिकारी
नगर निगम, भरतपुर